Azim Premji Philanthropic Initiatives

phia
to end poverty

झारखण्ड ग्राम स्वशासन अभियान हेतू

ग्राम सभा मार्गदर्शिका

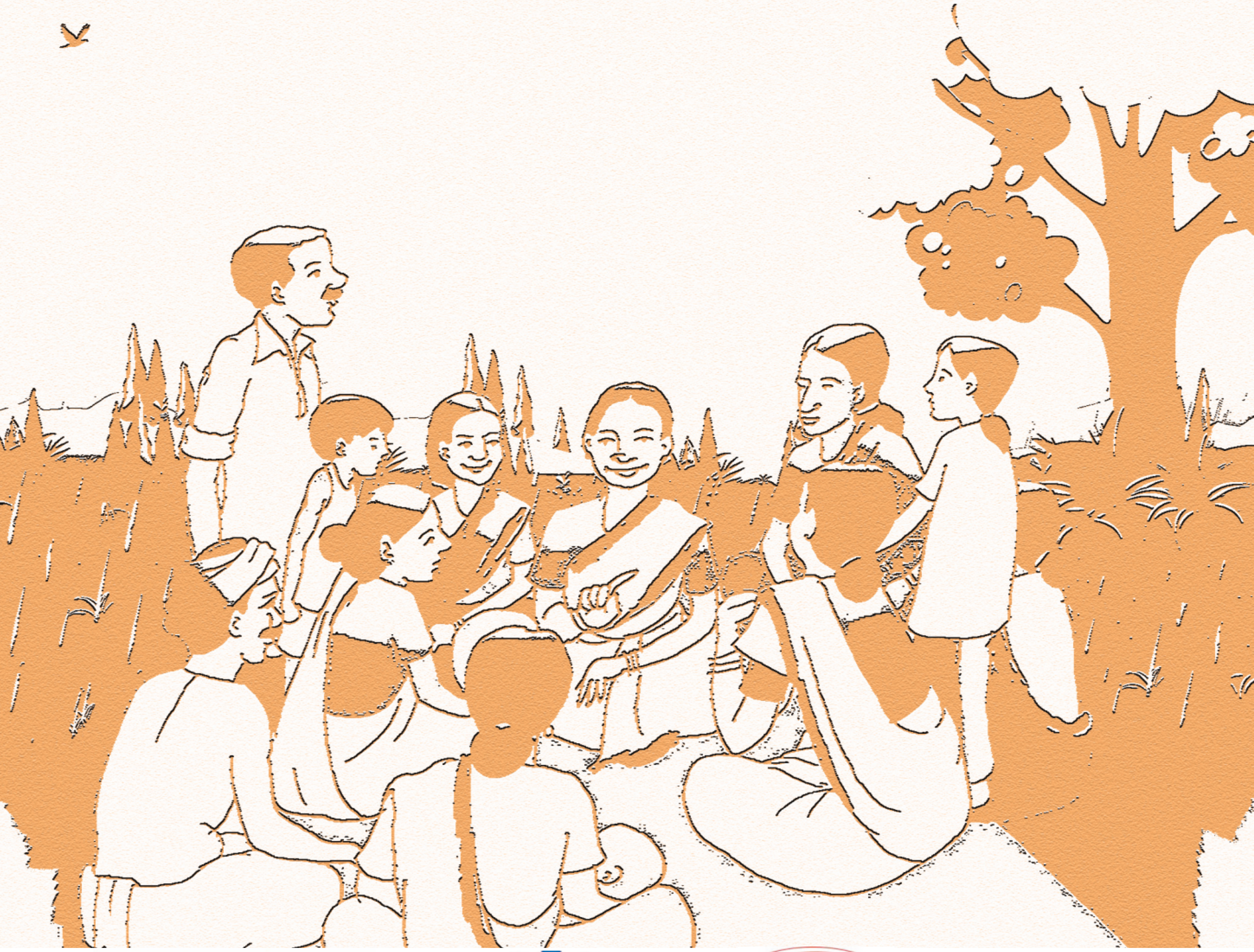

संवाद SAMVAD

AROUSE

ASRA

LOK JAGRITI KENDRA

मार्गदर्शिका लेखन
फिया टीम

प्रकाशक : फिया फाउंडेशन
प्रकाशन वर्ष : 2018

सहयोग : अज़ीम प्रेमजी फिलान्थ्रोपिक इनिशिएटिव प्राईवेट लिमिटेड

मुद्रक : नियोन इंटरप्राइजेज

परिचय

यह मार्गदर्शिका फिया फाउंडेशन एवं सहयोगी संस्थानों के सुनियोजित एवं साझा प्रयास का परिणाम हैं। यह मार्गदर्शिका ग्राम स्वशासन अभियान से जुड़े परियोजना दल के कार्य को सहज एवं सरल बनाने के लिए तैयार की गई हैं।

फिया फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जो सामाजिक बहिष्कार और गरीबी उन्मूलन के मुद्दों पर काम करती है। फिया फाउंडेशन नियंत्रित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी ग्रामीणों, जनजातियों एवं आदिम जनजातियों के विकास के लिए कई परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन कर रही है।

फिया फाउंडेशन ने एपीपीआई (अजीम प्रेमजी फिलैन्थ्रोपिक इनिशिएटिव) के साथ इस कार्यक्रम पर साझेदारी की है, जो स्थानीय लोकतंत्र को स्वशासन की संस्था बनाने और उन्हें मजबूत करने पर केंद्रित हैं। इसे झारखंड के जामताड़ा, गुमला और पश्चिम सिंहभूम जिलों के 3 ब्लॉक के 40 पंचायत के 358 गाँवों में 5वें अनुसूचित क्षेत्र में कार्यान्वित किया जाएगा।

एपीपीआई (अजीम प्रेमजी फिलैन्थ्रोपिक इनिशिएटिव) इस कार्यक्रम को झारखंड के अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात एवं राजस्थान में क्रियान्वित कर रही हैं।

ग्राम स्वशासन अभियान स्थानीय प्रशासन प्रणाली और स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन में ग्राम सभा के लिए एक बड़ी भूमिका के रूप में एक अवसर प्रदान करेगी।

हमें पूर्ण विश्वास है की यह मार्गदर्शिका परियोजना को संगठित रूप देने में परियोजना दल के लिए मददगार होगी ।

विषय सूची

क्र.स.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	परिचय	
2	ग्राम सभा, ग्राम सभा के सदस्य	1
3	ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा का महत्व	2
4	ग्राम सभा की बैठक, ग्राम सभा बैठक की सूचना	3–4
5	ग्राम सभा के बैठक हेतु कोरम	5
6	ग्राम सभा पीठासीन (अध्यक्षता) पदाधिकारी, अनुसूचित क्षेत्रों (PESA) में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता	6
7	ग्राम सभा उपस्थिति	7
8	ग्राम सभा कार्यवाही अभिलेख	8
9	ग्राम सभा में बहुमत द्वारा निर्णय	9
10	ग्राम सभा की वार्षिक बैठक, ग्राम सभा का दायित्व	10
11	पेसा अधिनियम अंतर्गत प्रदान शक्तियाँ	11
12	ग्राम कोष	12

ग्राम सभा

ग्राम सभा एक ऐसी निकाय है जिसमें एक राजस्व ग्राम/टोला/बसाहट के सभी वयस्क सदस्यों की प्रत्यक्ष भागीदारी हो।
('वयस्क– 18 साल से ऊपर, वयस्क सदस्यों का निर्वाचक/मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है)

ग्राम सभा के सदस्य

एक राजस्व ग्राम/टोला/बसाहट के वयस्क सदस्य जिनका नाम निर्वाचक/मतदाता नामावली में निबंधित है।

ग्राम सभा का गठन

झारखण्ड पंचायत राज्य अधिनियम 2001 के अध्याय–2, धारा–3(iii) के तहत साधारण राजस्व ग्राम में केवल एक ग्राम सभा का गठन हो सकता है परन्तु अनुसूचित क्षेत्र के राजस्व ग्राम में एक या एक से अधिक ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है यदि आवास या आवासों का समूह छोटे गाँव या टोला का समूह हो, जिसमें समुदाय हो और जो परंपरा एवं रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलाप का प्रबंधन करता हो।

ग्राम सभा का महत्व

यह एक ऐसा मंच है जो ग्रामीणों को अपनी इच्छा एवं विचारधारा को व्यक्त करने कि आजादी प्रदान करता है।

- ग्राम स्तर में मूल निवासियों का स्वशासन सुनिश्चित कराना।
- ग्रामीणों की सहभागिता पर ग्राम विकास की योजनाएं बनाना।
- गाँव के विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में गाँव के लोगों को जिम्मेदारी का एहसास कराना।
- ग्राम विकास योजनाओं, कार्यक्रमों, नियोजन आदि मे गाँव वालों को लाभान्वित कराना।
- शक्तियों का विकेंद्रीकरण (केंद्र से स्थानीय स्तर तक) कराना।
- ग्राम सभा तथा पंचायतों को सशक्त करने की दिशा में संवैधानिक एवं लोकतान्त्रिक प्रक्रिया की शुरुआत कराना।

ग्राम सभा की बैठक

- ग्राम सभा की बैठक प्रति माह होगी।
- आवश्यकता पड़ने पर माह में एक से अधिक बैठक होगी।
- ग्राम सभा के एक तिहाई सदस्यों की लिखित मांग किये जाने पर 30 दिनों के भीतर असाधारण बैठक बुलाई जाएगी।

ग्राम सभा बैठक की सूचना

- ग्राम सभा की हर बैठक की तारीख, समय, स्थान और ग्राम सभा में चर्चा के लिए निर्धारित एजेंडा की सूचना बैठक से 7 दिन पहले निर्धारित प्रारूप/प्रपत्र में दी जाएगी।
- बैठक की सूचना ग्राम के सूचना पट्ट में चिपका दी जाएगी एवं प्रसार माध्यम (डुगडुगी, ढोल, घंटी) के द्वारा पर्याप्त रूप से ग्रामीणों के बीच प्रसारित की जाएगी।
- ग्राम सभा के बैठक के आयोजन एवं संचालन का दायित्व परंपरागत अध्यक्षता से होगा।
- ग्राम सभा के बैठक में मुखिया एवं पंचायत सचिव को जरुर आमन्त्रित किया जाना चाहिए।

ग्राम सभा बैठक की सूचना 7 दिन पहले होगी।

ग्राम सभा की बैठक की सूचना

ग्राम सभा ....के सभी सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है की ग्राम सभा की बैठक तारीख .... को निम्नलिखित ग्राम .... के स्थान .... पर होगा।

ग्राम सभा के सभी सदस्य जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं।

बैठक बुलाने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

ग्राम सभा की बैठक की सूचना

सेवा में,

....

....

ग्राम सभा ....के द्वारा सूचित किया जाता है की ग्राम सभा की बैठक तारीख .... को निम्नलिखित ग्राम .... के स्थान .... पर होगा।

ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने के लिए आप आमंत्रित हैं।

बैठक बुलाने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

ग्राम सभा के बैठक हेतु कोरम

- ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से 1/10 सदस्यों की भागीदारी होगी, जिसमें कम से कम 1/3 (एक तिहाई) महिला होगी।
- अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा बैठक का कोरम कुल ग्राम सभा सदस्यों के 1/3 (एक तिहाई) भागीदारी से पुरी होगी, जिसमें कम से कम 1/3 महिला की संख्या होनी चाहिए।
- यदि बैठक में सदस्यों की संख्या कोरम पूर्ण हेतु आवश्यक सदस्य संख्या से कम होती है तो बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति बैठक को ऐसी आगामी तिथि एवं समय के लिए स्थगित कर देगा जैसा वह निश्चित करे। अगली बैठक की सूचना विहित तरीके से सभी को दी जाएगी। ऐसे स्थगित बैठक के लिए कोरम पूरा होने की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु ऐसी बैठक में किसी नये विषय पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम सभा पीठासीन (अध्यक्षता) पदाधिकारी

- साधारण ग्राम में अध्यक्षता, सम्बंधित ग्राम पंचायत का मुखिया और उसकी अनुपस्थिति में उप–मुखिया करेगा।
- मुखिया एवं उप–मुखिया दोनों के अनुपस्थिति की स्थिति में ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता सम्बंधित ग्राम के ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी, जो बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना जायेगा।

अनुसूचित क्षेत्रों (PESA) में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता

- पंचायत का मुखिया, उप–मुखिया या कोई सदस्य, बैठक की अध्यक्षता नही कर सकता है।
- बैठक की अध्यक्षता अनुसूचित जनजातियों के किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी, जो उस क्षेत्र में परम्परा से प्रचलित रीती–रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति जो ग्राम प्रधान या मांझी, मुंडा, पाहन, महतो या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो।
- अथवा ग्राम प्रधान यथा मांझी, मुंडा, पाहन, महतो द्वारा प्रस्तावित बैठक में उपस्थित सदस्यों में से चुने हुए व्यक्ति द्वारा की जाएगी।
- इसके अलावा परम्परागत ग्राम प्रधान के अनुपस्थिति में ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता करने हेतु ग्राम सभा द्वारा एक उपाध्यक्ष का चयन करना चाहिए, जो ग्राम का सम्मानित बुजुर्ग हो सकता हैं।

ग्राम सभा उपस्थिति

ग्राम सभा के बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का नाम प्रपत्र प्रारुप में रखे गए उपस्थिति पंजी में दर्ज किया जाएगा।

ग्राम सभा सदस्यों की उपस्तिथि पंजी

1. ग्राम पंचायत का नाम – ....
2. ग्राम सभा का नाम – ....

क्र. स.	सदस्य का नाम	पुरुष / महिला	जाति (Gen, / SC / ST / OBC)	वंचित वर्ग	BPL संख्या	दिनांक ...../...../.....	दिनांक ..../...../....	दिनांक ..../...../.....	दिनांक ...../..../....	दिनांक ..../..../....	दिनांक ...../...../.....	कुल उपस्थित दिन	हस्ताक्षर

वंचित वर्ग :–

- वृद्ध – ऐसे व्यक्ति जिनका उम्र 60 वर्ष से अधिक हैं और घर में कोई कमाने योग्य व्यक्ति नहीं हैं।
- एकल महिला – ऐसी महिला जो अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा हैं और घर में कोई कमाने योग्य व्यक्ति नहीं हैं।
- भूमिहीन – ऐसे परिवार जिनके पास खेती योग्य जमीन नहीँ हैं।
- PVTG
- दिव्यांग

ग्राम सभा कार्यवाही अभिलेख

- कार्यवाही अभिलेख ग्राम सभा के प्रपत्र प्रारुप में प्रविष्ट किया जाएगा, तथा बैठक में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति मुखिया एवं पंचायत सचिव को दी जाएगी ताकि ग्राम सभा के सभी कार्यवाही का क्रियान्वयन किया जाए।

ग्राम सभा के कार्यवाही अभिलेख

1. ग्राम पंचायत का नाम – ....
2. ग्राम सभा का नाम – ....
3. बैठक की तारीख – ....
4. बैठक का स्थान – ....
5. बैठक का समय – ....
6. उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों की कुल संख्या –.............(पुरुष–.......... महिला–........)

क्र. स.	ग्राम सभा के समक्ष रखे गए विषय	पूर्व बैठक के लंबित विषय	बैठक की कार्यवाही/ निर्णय

क्र. स.	महिलाओं एवं बच्चों संबंधित समस्या	पूर्व बैठक के लंबित विषय	बैठक की कार्यवाही/ निर्णय

ग्राम सभा अध्यक्ष/सचिव का हस्ताक्षर एवं मुहर

ग्राम सभा में बहुमत द्वारा निर्णय

- ग्राम सभा की बैठक में लाये गए समस्त विषय, उपस्थित सदस्यों की बहुमत से निर्णय लिये जायेंगे और मतदान हाथ उठा कर किया जाएगा।
- मतों की समानता की स्थिति में बैठक के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
- महिलाओं की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

ग्राम सभा की वार्षिक बैठक

- ग्राम सभा की वार्षिक बैठक अगले वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के कम से कम तीन माह पूर्व आयोजित होना चाहिए।
- वार्षिक लेखा विवरणी, पूर्व वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं अंतिम सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन।
- ग्राम सभा का वार्षिक बजट।
- अगले वित्तीय वर्ष की योजना का प्रस्ताव।
- निगरानी समिति का प्रतिवेदन।
- मुखिया और सदस्यों से किसी विशेष क्रियाकलापों, योजना, आय और व्यय के संबंध में माँगा गया स्पष्टीकरण।

ग्राम सभा का दायित्व

- प्रत्यक्ष भागीदारी
- प्रति माह में एक बैठक अनिवार्य
- योजना चयन, प्राथमिकीकरण
- लाभुक पहचान
- वार्षिक बजट को स्वीकृति
- योजनाओं, कार्यक्रम की निगरानी
- स्थानीय संस्कृति का संरक्षण और लघु वन उत्पाद का स्वामित्व
- स्थानीय विवाद और झगड़ों का निपटारा
- हाट, बाजार, मेला, बालू घाट का प्रबंधन और नियंत्रण
- जमीन सम्बन्धी विवाद का निबटारा और उसे वापस करने का अधिकार
- कार्यकारिणी एवं स्थायी समितियों के कार्यों की नियमित समीक्षा

पेसा अधिनियम अंतर्गत प्रदान शक्तियाँ

पेसा अधिनियम निम्नलिखित शक्ति प्रदान करता है

- लोगों की परंपराओं, रिवाजों और उनकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना, समुदाय के संसाधन, विवाद समाधान के परंपरागत तरीके की रक्षा और संरक्षण।
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार ।
- एक उचित स्तर पर पंचायत को लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है।
- एक उचित स्तर की ग्राम सभा या पंचायत द्वारा खान और खनिजों के लिए संभावित लाइसेंस पट्टा, रियायतें देने के लिए अनिवार्य सिफारिशें करने का अधिकार।
- मादक द्रव्यों की बिक्री/खपत को विनियमित करना।
- लघु वनोपजों का स्वामित्व।
- भूमि हस्तान्तरण को रोकना और हस्तांतरित भूमि की बहाली।
- गाँव बाजारों का प्रबंधन।
- अनुसूचित जनजाति को दिए जाने वाले ऋण पर नियंत्रण।
- सामाजिक क्षेत्र में कार्यकर्ताओ और संस्थानों, जनजातीय उप योजना और संसाधनों सहित स्थानीय योजनाओं पर नियंत्रण।
- पंचायत द्वारा योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए धन के उपयोग का एक प्रमाण पत्र जारी करना।

ग्राम कोष

- प्रत्येक ग्राम सभा एक निधि स्थापित कर सकेगी जो निम्नलिखित चार भागों से मिलकर ग्राम कोष कहलाएगा :

i- अन्न कोष
ii- श्रम कोष
iii- वस्तु कोष
iv- नगद कोष

जिसमें निम्नलिखित जमा होंगे :

(क) दान
(ख) प्रोत्साहन राशि
(ग) अन्य आय

गाँव के विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में ग्राम सभा द्वारा ग्राम कोष का प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोग से पूर्व, पूरा विवरण ग्राम सभा के पंजी में प्रविष्ट किया जाएगा, तथा बैठक में सत्यापन किया जाएगा। ग्राम सभा आय और व्यय के संबंध में अभिलेख रखेगा और अगला वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व वार्षिक बैठक में समीक्षा करेगा।

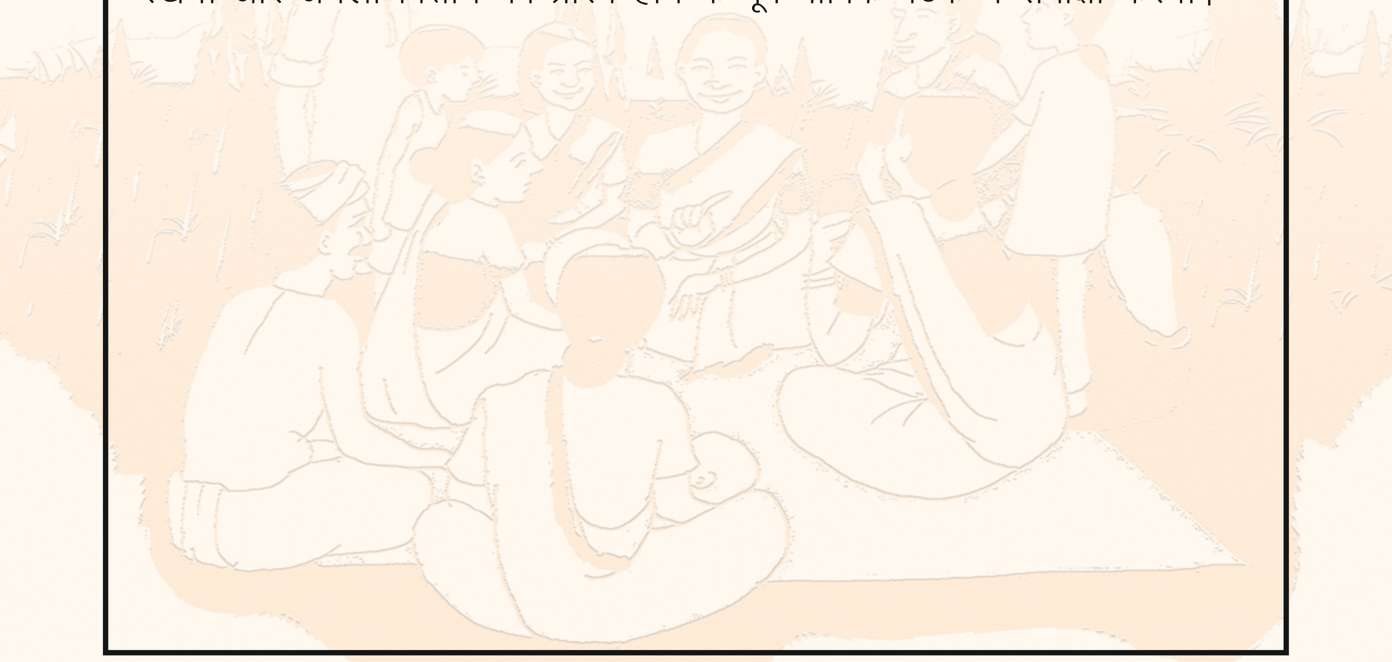

Note

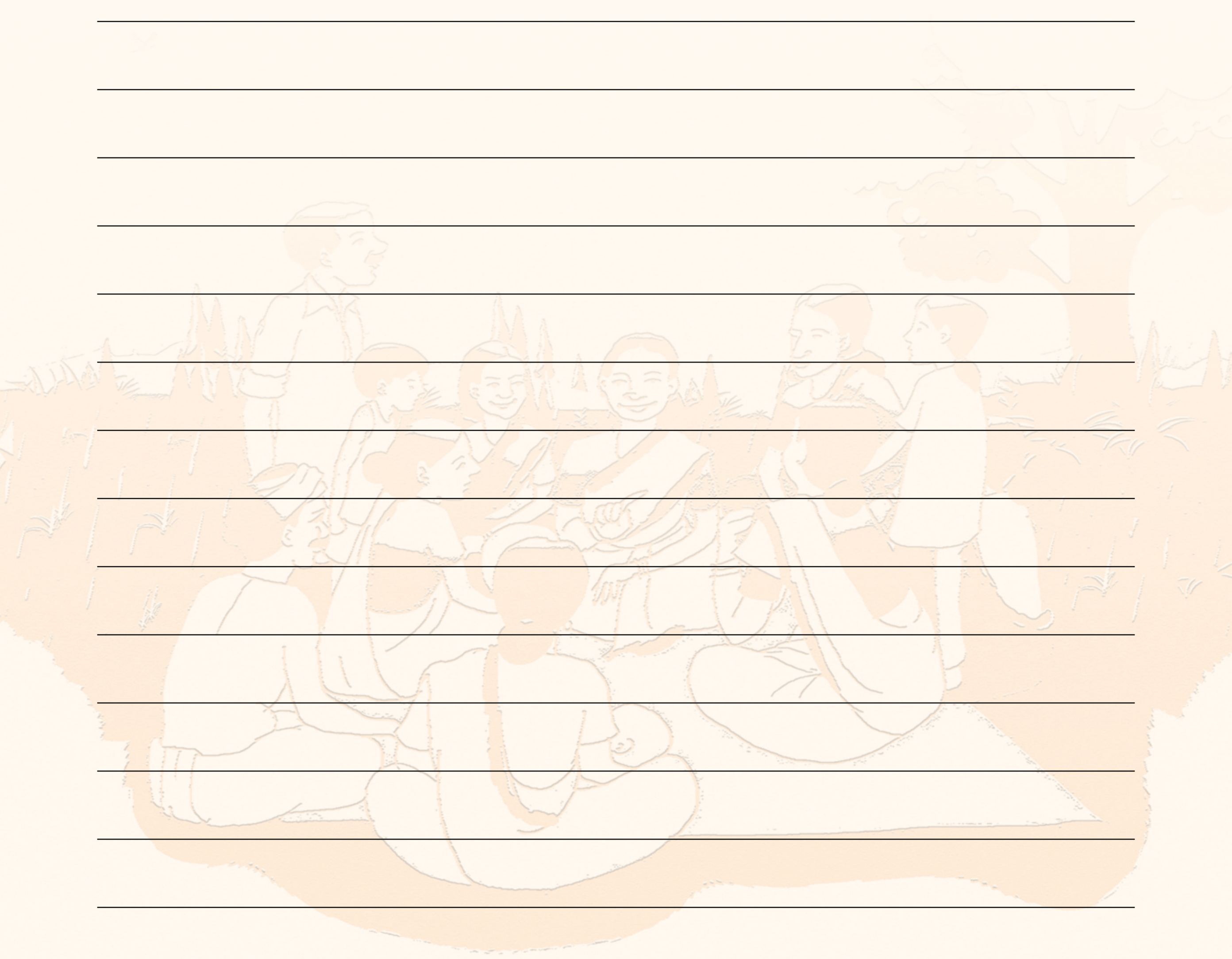

Note

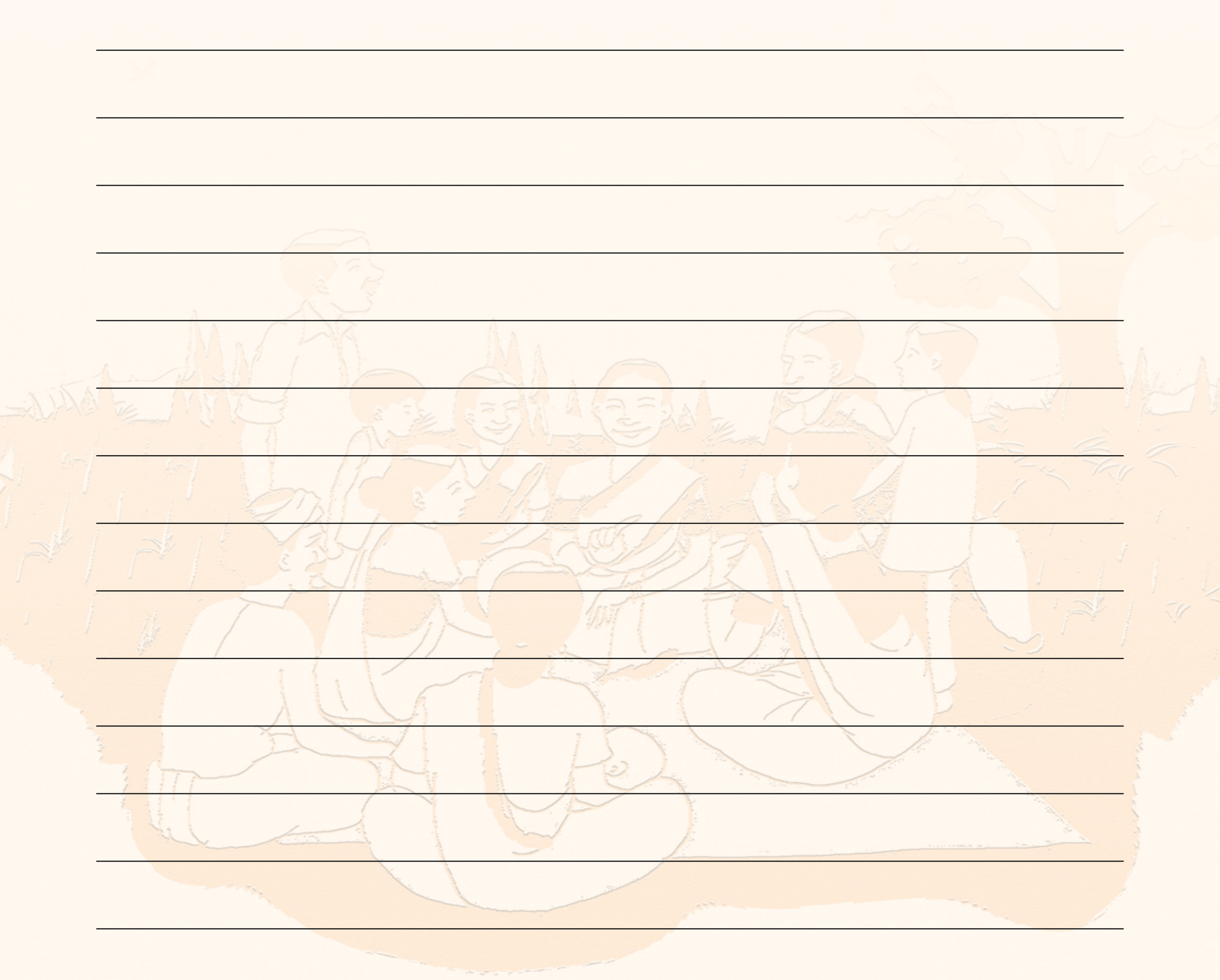

ग्राम स्वशासन अभियान

साझा प्रयास, सशक्त प्रयास, सही ग्राम विकास

आओ शपथ लें...

- ग्राम सभा में उपस्थित होंगे।
- ग्राम सभा में अपनी समस्याएं और मुद्दे रखेंगे और चर्चा करेंगें।
- ग्राम सभा में सवाल पूछेंगे।
- ग्राम सभा में फैसलों में भागीदारी करेंगें।
- ग्राम सभा में लिखे गए निर्णयों को पढ़वाकर सुनेंगे।
- ग्राम सभा में हस्ताक्षर करेंगें।
- गाँव की शिशु, किशोरी और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता का ध्यान रखेंगें।
- गाँव की सार्वजनिक सेवाओं जैसे आंगनबाड़ी, राशन दुकान, स्कूल, उप स्वास्थय केन्द्र आदि को समीक्षा एवं निगरानी करेंगें और उनमें आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करेंगें।
- वन ग्रामों, पुरानी बस्तियों, असर्वेक्षित ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की ओर कदम बढ़ायेंगें।
- परंपरागत रूप से जंगल से प्राप्त होने वाले संसाधनों जैसे जड़ी-बूटी, जानवर, फल फूल, पेड़, मिट्टी, पानी आदि का उपयोग एवं सुरक्षा करेंगें।
- जल संरक्षण व प्राकृतिक संसाधनों का विकास करके आजीविका सुरक्षा की ओर कदम बढ़ायेंगें।
- ग्रामीण सहभागिता से गांव के विकास के लिए वार्षिक कार्य योजना बनायेंगे।
- प्राथिमीकीकरण करके गाँव के वंचित परिवारों की विकास की ओर कदम बढ़ायेंगें।
- योजना क्रियान्वयन किए जाने पर निगरानी करेंगें ।
- गाँव में शिक्षा, रोजगार, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता और सामाजिक रूढ़ियों की विकास की ओर कदम बढ़ायेंगें।

जन, जल, जंगल और जमीन हो ग्राम सभा के अधीन।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

फिया फाउंडेशन

अरण्य विहार, गली न० – 01,
नियर लाल गुटूवा
अपोजिट कंचन पेट्रोल पंप
दलादली रिंग रोड
राँची, झारखण्ड – 835303